be aided by the Government may not be accepted as Personal Deposits at a treasury without the special permission of the Government for the opening of a banking account with that treasury. Such permission may not be granted except after consultation with the Accountant General and unless the Government be satisfied that the initial accounts of moneys to be held in such personal deposit accounts are properly maintained and are subject to audit.

Exception- The scholarship money under the Schemes of National and National Loan Scholarships received by the non-Government institutions from the Education Department may be credited into the treasuries in Personal Deposit Accounts by the non-Government institutions, subject to the conditions prescribed under the rule.

These instructions supersede this department's memorandum No. 469/331-IV-R-V Bhopal, dated 31st February 1962.

विषय- व्यक्तिगत जमा खाता खोलने हेतु वित्त विभाग की सहमति।

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग 1 के सहायक नियम 533 सहपठित नियम 536 के अनुसार कोषालय में शासकीय व्यक्तिगत जमा खाता खोले जाने के लिए वित्त विभाग की सहमति/स्वीकृति आवश्यक है। शासन के किसी भी विभाग अथवा प्राधिकारी को अपने स्तर से कोषालय में व्यक्तिगत जमा खाता (Personal Deposit Account) खोलने का आदेश देने का अधिकार नहीं है।

[म.प्र. शासन, वित्त विभाग क्र.एफ. 1/2003/नियम/चार, दिनांक 7-6-2003]

अनुभाग II – सामान्य नियम एवं परिसीमायें
(Section II – General Rules and Limitations)

स.नि. 536. जब तक कि ऐसा किसी वैधानिक प्रावधान के कारण अपेक्षित न हो या शासन के किसी सामान्य या विशेष आदेशों के कारण से अथवा शासन की अभिरक्षा में रखने को अधिकृत न किया गया हो, लोक लेखा में निक्षेप हेतु धनराशियां प्राप्त नहीं की जावेंगी।

उपर्युक्त के अध्यधीन, इन नियमों द्वारा विशिष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोषालय अधिकारी का यह देखने का कर्तव्य है कि न्यायालय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी के औपचारिक आदेश के अधीन तथा यह भी कि यदि राशि शासकीय लेखा के किसी ज्ञात शीर्ष में जमा की जा सकती है, को छोड़कर, राशि निक्षेप के रूप में तो जमा नहीं की गई है। अभ्यावेदन न्यायालय अथवा प्राधिकारी जिसने इसको स्वीकार करने का आदेश दिया अथवा जिसके पक्ष में जमा की गई थी, को किया जाय।

स.नि. 537. निम्नलिखित मदों को निक्षेपों के समान मानना प्रतिबन्धित है—

(अ) वेतन, पेंशन या अन्य भत्ते की कोई भी राशि आदाता की अनुपस्थिति के आधार पर या किसी अन्य कारण से, निक्षेपों में नहीं रखी जाना चाहिये।

टिप्पणी- जब कोई पेंशन तमाम व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दी जाना है तब केवल एक दावेदार की उपस्थिति पर उसका आहरण नहीं किया जा सकता है और न उसके हिस्से की संगणित राशि का भुगतान कर शेष निक्षेप में रखी जा सकती है।

(ब) अपील लम्बित है इस आधार पर जुर्माने को निक्षेप में जमा नहीं किया जाना चाहिये, उसे तुरन्त शासन को जमा किया जाना चाहिये तथा यदि आवश्यकता हो अपीलीय न्यायालय के आदेश पर वापस किया जाना चाहिये, लेकिन आहत व्यक्ति को देय क्षतिपूर्ति जुर्माने (दाण्डिक प्रकरणों में मूल्य सहित) तथा शासन को अपीलीय योग्य या अपीलीय योग्य नहीं, दोनों प्रकरणों में जब तक वे साधारण नियमों के अधीन व्यपगत नहीं हो जाते हैं, निक्षेपों में रखे जाना चाहिये।

(स) जैसा कि सहायक नियम 417 में उपबन्धित है, कोई भी वापसियां चाहे मुद्रांक की हों अथवा अन्य प्राप्तियों की क्यों न हों, पाने वाले की मांग की प्रत्याशा में निक्षेपों में जमा करने हेतु आहरित नहीं की जा सकती हैं।

स.नि. 538. यद्यपि मूल्य राशि में बताया गया है फिर भी अभिरक्षा एवं पुनःस्थापन हेतु प्राप्त आभूषण एवं अन्य सम्पत्ति को निक्षेप लेखा पर नहीं लाया जा सकता है।

अपवाद– शिक्षा विभाग की अशासकीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन प्राप्त छात्रवृत्तियों की राशि कोषालय में व्यक्तिगत निक्षेपों के खातों में अशासकीय संस्थाओं द्वारा नियमों में विनिर्धारित शर्तों के अधीन जमा की जा सकती है।

स.नि. 543. कानूनी प्रभाव रखने वाले किसी कानून या नियम द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय तथा शासन के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अध्यधीन जो कि इसके प्रतिकूल हों, सहायक नियम 553 से 567 के प्रावधान जैसे के तैसे व्यक्तिगत निक्षेपों तथा इस अध्याय में व्यवहारित समस्त अन्य वर्गों की निक्षेपों को लागू होंगे।

यदि व्यक्तिगत निक्षेप में जमा शेष तीन से अधिक पूर्ण लेखा वर्षों तक बकाया रहती है तो सहायक नियम 562 के अधीन शासन को व्यपगत नहीं होगी। तथापि जिन मामलों में व्यक्तिगत जमा लेखे संचित निधि को आकलित कर खोले जाते हैं, उन मामलों में उन्हें वित्तीय वर्ष के अंत में संचित निधि के सुसंगत सेवा शीर्ष में ऋण विकलन द्वारा बंद किया जाना चाहिये। यदि पुनः आवश्यक हो तो ऐसे व्यक्तिगत जमा लेखे आगामी वित्तीय वर्ष फिर से सामान्य रीति से खोले जा सकते हैं।

यदि व्यक्तिगत जमा लेखा लगातार तीन वर्षों तक अप्रचलित रहता है तो कोषालय अधिकारी लेखा के प्रशासक को संबोधित करेगा तथा उससे अपेक्षा करेगा कि एक माह के अंदर कारण बताया जाय कि जमा शेष को क्यों न राजस्व निक्षेप में जमा किया जाए। यदि प्रशासक का पता नहीं चले या एक माह के अंदर सूचना का जवाब देने में असफल रहे या कोषालय अधिकारी को व्यक्तिगत जमा लेखा निरंतर चालू रखने के बारे में औचित्य बताने में असफल रहता है, तो कोषालय अधिकारी महालेखाकार की पुस्तक से शेष का मिलान तथा सत्यापन कराने उपरान्त महालेखाकार को मांग पत्र भेजकर लेखा के शेष से राजस्व निक्षेप में जमा करेगा। इसके पश्चात् वह सामान्य राजस्व निक्षेप की मदों के समान व्यवहारित होगा तथा पूर्वतर उसका पुनर्भुगतान नहीं किया गया है तो सहायक नियम 562 के उपबंधों के अध्यधीन शासन को व्यपगत तथा जमा करेगा।

राज्य शासन अनुदेश

कोषालयों/उप-कोषालयों में व्यक्तिगत जमा खातों का संधारण

मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 542 एवं 543 में व्यक्तिगत जमा खातों के संधारण के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख है। शासन के ध्यान में यह बात आयी है कि व्यक्तिगत जमा खातों के संधारण के संबंध में नियमों का पालन ठीक से नहीं हो रहा है, अतः इस संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे.—

(अ) वित्त विभाग की पूर्व सहमति के अभाव में कोई भी नया व्यक्तिगत जमा खाता नहीं खोला जावे।

(ब) ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते, जो शासन के समेकित निधि को विकलित कर खोले जाते हैं उन्हें वित्तीय वर्ष के अंत में अनिवार्यतः बंद किया जावे। यदि इन व्यक्तिगत जमा खातों की आवश्यकता हो तो पुनः नया खाता खोलने के लिये वित्त विभाग की सहमति के लिये प्रस्ताव भेजा जावे।

(स) उपरोक्त कंडिका के अलावा ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते, जिसमें 3 वर्ष तक लगातार कोई संव्यवहार न हुआ हो के मामलों में संबंधित खाते के प्रशासक को नोटिस देते हुए खाता बंद किया जावे एवं खाते के शेष बैलेंस की राशि राजस्व जमा में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जावे।

2. व्यक्तिगत जमा खातों में जमा एवं व्यय तथा मासिक रिटर्न भेजने के संबंध में मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 584 से 590 में प्रावधान हैं जो निम्नानुसार हैं :—

(अ) खाते से आहरण केवल चैक द्वारा ही किया जावेगा। चैक पर खाते के प्रशासक के हस्ताक्षर होना चाहिये।

(ब) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संबंधित व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासक से यह प्रमाण पत्र लिया जावे कि उनके अभिलेख के अनुसार अंतिम शेष एवं कोषालय के खाते के अनुसार अंतिम शेष बराबर है, यदि इसमें अंतर दृष्टिगोचर हो तो अंतर की राशि का समाधान तत्काल किया जावे।

(स) इस संबंध में पूरी सावधानी बरती जावे कि व्यक्तिगत जमा खाते का बैलेंस सही है तथा खाते में दर्शाये गये बैलेंस से अधिक राशि आहरित नहीं की जा रही है।

(द) व्यक्तिगत जमा खाते में संबंधित धन-ऋण ज्ञापन प्रत्येक माह तैयार कर महालेखाकार म.प्र. को भेजे जावें।

अतः व्यक्तिगत जमा खातों के संधारण हेतु उक्त नियमों में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

[वित्त विभाग ज्ञाप क्रमांक 2117/97/सी/चार, दिनांक 16-12-97 संबोधित समस्त कोषालय अधिकारी।]

विषय:—कोषालयों एवं/उप कोषालयों में व्यक्तिगत जमा खातों का संधारण ।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) मार्च, 2000 में महालेखाकार, मध्यप्रदेश द्वारा यह आपत्ति ली गई है कि व्यक्तिगत जमा खाते, जो शासन की समेकित निधि को विकलित कर खोले जाते है, उन्हें वित्तीय वर्ष के अंत में बंद नहीं किये गये हैं। इन खातों में अभी भी अंत शेष है जबकि मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 543 के अनुसार जिन मामलों में व्यक्तिगत जमा लेखे संचित निधि को विकलित कर खोले जाते है उन मामलों में वित्तीय वर्ष के अंत में संचित निधि की संबद्ध सेवा शीर्ष में ऋणात्मक नामे द्वारा बंद किया जाना चाहिये। इन खातों में अंत शेष का होना यह प्रदर्शित करता है कि वित्तीय वर्ष के अंत में वैयक्तिक जमा खाता बंद करने के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया है।

2. व्यक्तिगत जमा खातों के संधारण के संबंध में वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 2117/97/सी/चार, दिनांक 16-12-1997 द्वारा निर्देश प्रसारित किए गए है। महालेखाकार द्वारा बताई गई स्थिति से स्पष्ट होता है कि नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है।

3. अतः वैयक्तिक जमा खातों के संबंध में उक्त नियम में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

[म.प्र. शासन, वित्त विभाग क्रमांक डी-530/2004/नियम/चार, दिनांक 4 सितम्बर, 2004]

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक एफ-1-8/2007/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 22-11-2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,

समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय:— कोषालय/उप कोषालयों में व्यक्तिगत जमा खातों का खोला जाना।

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 533 से 536 में कोषालय में शासकीय व्यक्तिगत जमा खाता खोले जाने के संबंध में वित्त विभाग की सहमति तथा अर्ध शासकीय संस्थाओं के मामलों में सहायक नियम 542 के अनुसार वित्त विभाग की सहमति के साथ ही महालेखाकार की पूर्व अनुमति/सहमति प्राप्त की जाना आवश्यक है। म.प्र. कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 543 में यह भी प्रावधान है कि जिन मामलों में व्यक्तिगत जमा खाते संचित निधि को डेबिट (Debit) कर खोले जाते है, उन मामलों में उन्हें वित्तीय वर्ष के अंत में संचित निधि के सुसंगत सेवा शीर्ष में Minus Debit द्वारा बन्द किया जाना चाहिये तथा यदि पुनः आवश्यक हो, तो ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते आगामी वित्तीय वर्ष में फिर से सामान्य रीति से खोले जा सकते है। शासन के ध्यान में यह बात आई है कि व्यक्तिगत जमा खातों के खोले जाने तथा उनके संधारण के संबंध में नियमों का पालन ठीक से नहीं हो रहा है। अतः सभी विभागों/विभागाध्यक्षों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें :—

1. वित्त विभाग/महालेखाकार जैसी भी स्थिति हो, की पूर्व सहमति के अभाव में कोई भी नया व्यक्तिगत जमा खाता नहीं खोला जाय और न ही पूर्व से प्रचलित खाते को नियमानुसार निर्धारित अवधि के पश्चात् सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये बिना निरन्तर रखा जावे।
2. ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते, जो शासन के समेकित निधि को डेबिट (Debit) कर खोले जाते है, उन्हें वित्तीय वर्ष के अन्त में अनिवार्यतः बन्द किया जाए। यदि इन व्यक्तिगत जमा खातों की आवश्यकता हो, तो पुनः नया खाता खोलने के लिये नियमानुसार वित्त विभाग/महालेखाकार जैसी भी स्थिति हो से सहमति प्राप्त की जावे। ऐसे व्यक्तिगत खातों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी भी दशा में आगामी वित्तीय वर्ष में सक्षम स्वीकृति के बिना निरन्तर न रखा जावे।
3. उपरोक्त के अलावा ऐसे व्यक्तिगत खाते जिसमें 3 वर्ष तक लगातार कोई संव्यवहार न हुआ हो, कोषालय संहिता के सहायक नियम 562 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इन खातों के अवशेष शासन के पक्ष में व्यपगत हो जाते हैं। अतः यह ध्यान रखा जाए कि कोई भी व्यक्तिगत जमा खाता निरन्तर 3 वर्ष तक अप्रचलित न रहे।

2. कृपया उक्त निर्देशों को अपने अधीनस्थों के ध्यान में लाया जावे एवं उनका पालन सुनिश्चित कराने के संबंध में यथा आवश्यक कार्यवाही की जावे।

हस्ता/-
(ए.पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.